

26.2.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./20/176 दिनांक 30.01.2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 11.02.2020 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। इसके पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं होने पर पुनः नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./20/406 दिनांक 19.02.2020 जारी कर अपील का बिन्दुवार जवाब दिनांक 26.02.2020 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात् भी लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू से नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 27.01.2020 तक भी प्रार्थी/अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस न्यायालय में प्रथम अपील प्राप्त होने पर दिनांक 29.01.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई। अपील पेश होने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा नियत तारीख पेशी तक ना तो इस न्यायालय को कोई जवाब भिजवाया है ना ही अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में कारण सहित कोई जवाब प्रेषित किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चौमू से सूचना चाही गई है लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस न्यायालय को नियत तिथी तक बिन्दुवार जवाब/सूचना आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दी जा सकती है तो प्रार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चौमू जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. अशोक कुमार)

**प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं**  
**अति. फ़ैसलदार (चतुर्थ), जयपुर**